

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग 11—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II-Section 3-Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1903] No. 1903]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 18, 2014/भाद्र 27, 1936

NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 18, 2014/BHADRA 27, 1936

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 सितम्बर, 2014

का.आ. 2425(अ).—केंद्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 210क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के अधीन कंपनी या कंपनियों के वर्ग द्वारा अंगीकृत किए जाने के लिए लेखा नीतियों और लेखा मानक बनाने और अधिकथित करने के संबंध में केंद्रीय सरकार को सलाह देने के लिए लेखा मानक राष्ट्रीय सलाहकार समिति नाम से ज्ञात सलाहकार समिति का गठन करती है, जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, अर्थात् :---

नाम और पदनाम	धारित पद
श्री अमरजीत चोपड़ा,	अध्यक्ष,
चार्टर्ड एकांउटेंट	[धारा 210क की उपधारा (2) के खंड (क) के अधीन नामनिर्दिष्ट]
डॉ. ए. एस. दुर्गा प्रसाद,	सदस्य,
अध्यक्ष, भारतीय लागत और संकर्म लेखाकार संस्थान के नामनिर्देशिती	[धारा 210क की उपधारा (2) के खंड (ख) के अधीन नामनिर्दिष्ट]
श्री आर. श्रीधरन, अध्यक्ष,	सदस्य,
भारतीय कंपनी सचिव संस्थान के नामनिर्देशिती	[धारा 210क की उपधारा (2) के खंड (ख) के अधीन नामनिर्दिष्ट]
सीए. के. रघु, अध्यक्ष,	सदस्य,
भारतीय चार्टर्ड एकांउटेंट संस्थान के नामनिर्देशिती	[धारा 210क की उपधारा (2) के खंड (ख) के अधीन नामनिर्दिष्ट]
संयुक्त सचिव,	सदस्य
कारपोरेट कार्य मंत्रालय	[धारा 210क की उपधारा (2) के खंड (ग) के अधीन नामनिर्दिष्ट]
	श्री अमरजीत चोपड़ा, चार्टर्ड एकांउंटेंट डॉ. ए. एस. दुर्गा प्रसाद, अध्यक्ष, भारतीय लागत और संकर्म लेखाकार संस्थान के नामनिर्देशिती श्री आर. श्रीधरन, अध्यक्ष, भारतीय कंपनी सचिव संस्थान के नामनिर्देशिती सीए. के. रघु, अध्यक्ष, भारतीय चार्टर्ड एकांउंटेंट संस्थान के नामनिर्देशिती

(6)	श्री सुदर्शन सेन, प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक, भारतीय रिजर्व बैंक के नामनिर्देशिती	सदस्य, [धारा 210क की उपधारा (2) के खंड (घ) के अधीन नामनिर्दिष्ट]	
(7)	श्री पी शेष कुमार, महानिदेशक (वाणिज्यिक), भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के नामनिर्देशिती	सदस्य, [धारा 210क की उपधारा (2) के खंड (ड.) के अधीन नामनिर्दिष्ट]	
(8)	प्रो. आई. एम. पाण्डेय, पूर्व संकाय सदस्य, भारतीय प्रबंधन संस्थान, अहमदाबाद	सदस्य, [धारा 210क की उपधारा (2) के खंड (च) के अधीन नामनिर्दिष्ट]	
(9)	संयुक्त सचिव, कर नीति कानूम-II, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के नामनिर्देशिती	सदस्य, [धारा 210क की उपधारा (2) के खंड (छ) के अधीन नामनिर्दिष्ट]	
(10)	श्री रूस्ताव रवनन, भारतीय उद्योग परिसंघ के नामनिर्देशिती	सदस्य, [धारा 210क की उपधारा (2) के खंड (ज) के अधीन नामनिर्दिष्ट]	
(11)	श्री आदेश गुप्ता, भारतीय वाणिज्य और उद्योग मंडल संघ के नामनिर्देशिती	सदस्य, [धारा 210क की उपधारा (2) के खंड (ज) के अधीन नामनिर्दिष्ट]	
(12)	हाँ, अशोक हल्दिया, एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया के नामनिर्देशिती	सदस्य, [धारा 210क की उपधारा (2) के खंड (ज) के अधीन नामनिर्दिष्ट]	
(13)	श्री एस. रविन्द्रन, कार्यकारी निदेशक, भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड के नामनिर्देशिती	सदस्य, [धारा 210क की उपधारा (2) के खंड (झ) के अधीन नामनिर्दिष्ट]	

2. अध्यक्ष और सदस्य राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए अथवा कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 132 के अधीन राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण के गठन तक, जो भी पहले हो, पद धारण करेंगे।

3. यह अधिसूचना 18 सितंबर, 2014 से प्रवृत्त होगी।

[फा. सं. 1/5/2001-सीएल-V (भाग-V)] अमरदीप सिंह भाटिया, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS NOTIFICATION

New Delhi, the 18th September, 2014

S.O. 2425(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 210A of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), the Central Government hereby constitutes an Advisory Committee to be called the National Advisory Committee on Accounting Standards, consisting of the following persons to advise the Central Government on the formulation and laying down of accounting policies and accounting standards for adoption by companies or class of companies under the said Act, namely:—

- (1) Shri Amarjit Chopra, Chartered Accountant
- (2) Dr. A.S. Durga Prasad,
 President, Nominee of The Institute of
 Cost and Works Accountants of India
- (3) Shri R. Sridharan, President, Nomince of The Institute of Company Secretaries of India

Chairperson, [Nominated under clause (a) of sub-section(2) of section 210A]

Member, [nominated under clause (b) of sub-section (2) of section 210A]

Member, [nominated under clause (b) of sub-section (2) of section 210A]

- (4) CA. K. Raghu, President, Nominee of The Institute of Chartered Accountants of India
- (5) Joint Secretary, Ministry of Corporate Affairs
- (6) Shri Sudarshan Sen, Chief General Manager-in-Charge, Nominee of Reserve Bank of India
- (7) Shri P Sesh Kumar, Director
 General (Commercial),
 Nominee of Comptroller and Auditor General of India
- (8) Prof. I.M Pandey, Ex-faculty, Indian Institute of Management, Ahmedabad
- (9) Joint Secretary, Tax
 Policy Law-II,
 Nominee of Central Board of Direct Taxes.
- (10) Shri Rostow Ravanan, Nominee of Confederation of Indian Industry.
- (11) Shri Adesh Gupta, Nominee of Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry
- (12) Dr. Ashok Haldia, Nominee of Associated Chambers of Commerce and Industry of India
- (13) Shri S. Ravindran, Executive Director, Nominee of Securities Exchange Board of India.

Member, [nominated under clause (b) of sub-section (2) of section 210A]

Member,
[Nominated under clause (c) of
sub-section (2) ofsection 210A]
Member,
[nominated under clause (d) of
sub-section (2) of section 210A]

Member, [nominated under clause (e) of sub-section (2) of section 210A]

Member, [nominated under clause (f) of sub- section (2) of section 210A] Member, [nominated under clause (g) of sub- section (2) of section 210A]

Member, [nominated under clause (h) of sub-section (2) of section 210A]

Member, [nominated under clause (h) of sub-section (2) of section 210A]

Member, [Nominated under clause (h) of sub-section (2) of section 210A].

Member, [nominated under clause (i) of sub-section (2) of section 210A]

- 2. The Chairperson and members shall hold office for a period of one year from the date of publication of this notification in the Official Gazette or till the constitution of National Financial Reporting Authority under Section I32 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013) whichever is earlier.
- 3. This notification shall come into force on 18th September, 2014.

[F.No.1/5/2001-CL.V (Part V)] AMARDEEP SINGH BHATIA, Jt. Secy.